न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27/2020 प्रा.पत्र/2020	20.03.2020	19.02.2026
जीसीएमएस नं0 50/2020		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान निवासी ग्रा. पो. ललवाडी तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ./कैशियर मैसर्स आधार सुपर मार्केट थाने के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पिनकोड–304021
2–श्री हेमसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह नॉमिनी मैसर्स आधार सुपर मार्केट थाने के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021
3–मैसर्स आधार सुपर मार्केट थाने के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021
4–श्री मक्खन लाल यादव पुत्र श्री सूनाराम निवासी 130, ढाणी बिच्यूलीवाली, मनडूस्या, सीकर नॉमिनी मैसर्स आधार आधार हॉलसेल ट्रेंडिग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2290–2291, ग्राम दहमीकलां, बगरू जिला जयपुर। पिनकोड–302026
5–मैसर्स आधार आधार हॉलसेल ट्रेंडिग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2290–2291, ग्राम दहमीकलां, बगरू जिला जयपुर। पिनकोड–302026

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 19/2/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2019 को समय 05:30 पी.एम. पर मैसर्स आधार सुपर मार्केट थाने के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करतें हुए उपस्थित मिला, श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का केशियर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ–साथ 400–400 ग्राम पैक के लगभग 15 मूल पैक **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 04 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 400–400 ग्राम पैक के 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** 400–400 ग्राम पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों 1–1 नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2253 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2253 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सन्दीप सिंह चौहान पुत्र श्री गिर्राज सिंह चौहान मैसर्स आधार सुपर मार्केट थाने के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड ग्राम दहमीकलां बगरू जिला जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/2375 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1771/एक्ट/2019/1308 दिनांक 16.08.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ वारन्टी बिल के आधार पर निर्माता फर्म के क्रय किया है एवं उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा था। अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अतः अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 को बार–बार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए परन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड अचार (Mixed Pickels Sambha ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 4

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व 5 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूंने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज